नथुनी राम

बनाम

रघुपति राम और अन्य

23 फरवरी, 2007

[न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 100:

वाद भूमि पर वाद बाबत स्वामित्व की उदघोषणा और कब्जे की पुष्टि के लिए- विचारण न्यायालय द्वारा अपील ख़ारिज- -मुकदमे की भूमि के हिस्से के संबंध में शेष भाग पर अपीलार्थी के क़ब्ज़े दावे को स्वीकार करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय- -अपीलार्थी द्वारा अपील की गई और प्रतिवादी द्वारा नहीं- उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दी गई राहत को पलटते हुए - औचित्य - निर्णीत किया गया - प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दी गई राहत को उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों से किसी भी चुनौती के बिना भी उलट दिया गया था- इसलिए, अपील की अनुमति प्रथम अपीलीय न्यायालय की हद तक दी गई थी कि -अभ्यास और प्रक्रिया-अपील।

अपीलार्थी ने स्वामित्व के लिए वाद बाबत उदघोषणा वाद भूमि पर कब्जे की पुष्टि के लिए एक मुकदमा दायर किया। विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा खारिज कर दिया गया था। अपील पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 22 दशमलव भूमि के संबंध में अपीलार्थी के दावे को अनुमति दी और प्रतिवादियों को 14 दशमलव भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी। पीड़ित, अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत एक अपील दायर की, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार की शुद्धता पर सवाल उठाया गया। हालांकि प्रतिवादियों ने प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा व्यक्त किए गए विचार की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया था, फिर भी उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि की।अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया ।अपीलार्थी प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले से तब भी असंतुष्ट था, उसने एक अपील दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए खारिज कर दिया।वास्तव में, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दी गई राहत को उलट दिया गया था। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया मार्ग स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है और प्रतिवादियों द्वारा अपील के अभाव में उच्च न्यायालय के लिए विपरीत दृष्टिकोण रखने के लिए खुला नहीं है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

उच्च न्यायालय के आदेश में बहुत भ्रम हैं; प्रथमतः अपील को खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को, जो अपीलार्थी के पक्ष में था, प्रतिवादियों से कोई चुनौती दिए बिना रद्द कर दिया गया था; दूसरा, अपीलार्थी की अपील में उस राहत को, जिस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था, शून्य नहीं किया जा सकता था; तीसरा, उच्च न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष यह था कि अपील की अनुमति दी गई थी, जबकि अन्यथा हुआ था। अतः, अपील को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दी गई राहत की पुष्टि की जाती है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 910/ 2007

(अपीलीय डिक्री संख्या 37/ 2002 में झारखंड उच्च न्यायालय,रांची के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांकित 14.09.2004 विरुद्ध।)

अपीलार्थी की ओर से सुनील कुमार, अनीता कानूनगो और मृदुला रे भारद्वाज।

प्रत्यर्थीगण की ओर से सैयद अली अहमद, सैयद तनवीर अहमद, एस. एस. बंदोपाध्याय, मोहम्मद, शाह नवाज हसन, शबाना सैफी और मोहन पांडे ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में चुनौती झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को दी गई है।वादी, जिसने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 100 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील दायर की थी, ने यह अपील दायर की है।

3. तथ्यात्मक पहलू का विस्तृत संदर्भ वास्तव में अनावश्यक है।

4. वादी ने स्वामित्व की उदघोषणा के साथ-साथ वाद भूमि पर कब्जे की पुष्टि के लिए वाद दायर किया था।संपत्ति का विवरण प्लॉट संख्या 51 के रूप में दिया गया था, जो कि ग्राम जपला, धोरहारा, जिला पलामू के खाता संख्या 80 से संबंधित भूमि का 36 दशमलव था। इस मुकदमे को विद्वान मुन्सिफ डाल्टनगंज ने खारिज कर दिया था।

5. प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई थी।अपील में, विद्वान अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पलामू ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के दावे को 22 दशमलव भूमि के संबंध में स्वीकार किया जाना था और प्रतिवादी को 14 दशमलव भूमि का क़ब्ज़ा मिला हुआ था।अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए संहिता की धारा 100 के तहत अपील दायर की।

6. निम्नलिखित प्रश्न को दूसरी अपील में तैयार किया गया था जिसमें इसे कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना गया था।

> "क्या अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भूखंड संख्या 51 की कुल 36 दशमलव भूमि में से 14 दशमलव पर वादी के दावे को अस्वीकार करने में कानूनी रूप से गलती की, जब 1342 फसली में प्राप्त रायती बंदोबस्त को नकार नहीं दिया गया था।"

7. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिवादियों ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश और डिक्री की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया था। इसके बाद भ्रम की शुरुआत होती है। यद्यपि प्रतिवादियों ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया था और यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा दायर दूसरी अपील की सुनवाई के दौरान निष्कर्षों का समर्थन करने की कोशिश नहीं की थी, फिर भी उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय के फैसले की पुष्टि की। उसको पर्याप्त नहीं मानते हुए, अंतिम निष्कर्ष में उच्च न्यायालय ने नोट किया कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को अनुमति दी गई थी।वास्तव में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दी गई राहत को उलट दिया गया था।

8. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया रुख स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है।

यह माना हुआ है कि 22 दशमलव भूमि के लिए अपीलार्थी की पात्रता के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय के दृष्टिकोण पर सवाल उठाने वाली कोई अपील नहीं थी। प्रतिवादियों द्वारा अपील के अभाव में उच्च न्यायालय के लिए एक विपरीत दृष्टिकोण लेने के लिए विकल्प प्रस्तुत नहीं था।

9. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि उनके द्वारा पहली अपीलीय न्यायालय द्वारा दी गई राहत यानी 22 दशमलव भूमि के उपलक्ष्य में कोई अपील दायर नहीं की गई थी। यह भी निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया गया कि उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा इस आशय का कोई रुख नहीं अपनाया गया था कि अपीलार्थी को दी गई राहत कानूनी नहीं थी।

10. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय के आदेश में भ्रम की भरमार है; प्रथमतः अपील को खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को, जो अपीलकर्ता के पक्ष में था, प्रतिवादियों द्वारा किसी भी चुनौती के बिना रद्द कर दिया गया था; दूसरा, अपीलार्थी की अपील में उस राहत को, जिस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था, शून्य नहीं किया जा सकता था; तीसरा, उच्च न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष यह था कि अपील की अनुमति तब दी गई थी जबकि अन्यथा हुआ था।

11. उपर्युक्त स्थिति होने के कारण हम अपील को इस हद तक स्वीकार करते हैं कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दी गई राहत की पुष्टि की

जाती है। उच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें निर्देश दिया गया है कि अपीलीय न्यायालय के फैसले को उलट दिया जाए और निचली अदालत के फैसले को बहाल किया जाए, उस हद तक नहीं माना जा सकता है।

12. अपील की अनुमति लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना दी जाती है।

अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।